



दूरभाष 0522-2288656

Email- cehydelpct@gmail.com

फैक्स 0522-2288655

कार्यालय मुख्य अभियन्ता(जल-विद्युत)

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार,
14-अशोक मार्ग,
लखनऊ।

संख्या: 429-अनु०-6/या०सं० 1876/2001,

दिनांक: 15.10.2016

कार्यालय-ज्ञापन

यतः रिट याचिका संख्या-1876/2001(एस०एस०) में पारित मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के आदेश दिनांक 11.08.2014 एवं अभिनिर्णय विवाद संख्या-232/96 में मा० श्रम न्यायालय(II), उ०प्र० कानपुर द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 16.09.2000 के अनुपालन हेतु निर्गमित इस कार्यालय के ज्ञापन संख्या-717-अनु०-6/या०सं० 1876/2001 दिनांक 18.11.2014 के अनुक्रम में विलम्ब से घोषित किये गये 03 समयबद्ध वेतनमान के फलस्वरूप निम्नलिखित वादीगणों को 18% ब्याज के भुगतान किये जाने सम्बन्धी लाभ की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	नाम कर्मचारी	पदनाम	तैनाती की जगह
सर्वश्री			
1.	रमेश चन्द्र तिवारी	टेक्निकल असिस्टेंट	कानपुर
2.	बलवीर सिंह	"	मेरठ
3.	के०के० बागची	"	देहरादून
4.	बलवीर सिंह	"	हरदुआगंज
5.	हरि कृष्ण मित्तल	"	बडौत
6.	प्रमोद कुमार- II	"	मेरठ
7.	सुधीर कुमार	"	फैजाबाद
8.	सरदार सिंह	"	फरकाबाद
9.	सुरेश कुमार	"	
10.	के०के० श्रीवास्तव	"	जौनपुर
11.	फदल सिंह	"	मथुरा
12.	गुरमुख सिंह	"	देहरादून
13.	राजेन्द्र कुमार	"	मेरठ
14.	मोहन लाल	"	मुजफ्फरनगर
15.	जवाहर राम	"	वाराणसी
16.	मुकुट बिहारी	"	फरखाबाद
17.	विजय कुमार	"	रुड़की
18.	प्रकाश मोहन	"	मुरादाबाद
19.	जय प्रकाश शर्मा	"	मेरठ
20.	उमेश बिहारी	"	रुड़की
21.	ज्ञान चन्द्र जैन	"	लखनऊ
22.	लक्ष्मी कान्त चटर्जी	"	वाराणसी
23.	सत्येन्द्र सिंह	"	आगरा
24.	हरिमोहन शर्मा	"	मेरठ
25.	सत्य राम	"	मऊ
26.	पी०सी० चौधरी	"	लखनऊ
27.	अश्वनी कुमार	"	लखनऊ

---02---

28.	वरीन्दर कुमार बहल	टेक्निकल असिस्टेन्ट	कौलागढ़
29.	राम दत्त शर्मा	"	लखनऊ
30.	आर०के० जैन	"	लखनऊ
31.	शिव प्रकाश	"	मेरठ
32.	सुरेश मार्शल	मानचित्रक डिप्लोमा होल्डर	अलीगढ़
33.	डी०एस० शर्मा	"	कानपुर
34.	यू०डी० शर्मा	"	अलीगढ़
35.	वी०पी० सिंह	टेक्निकल असिस्टेन्ट	"
36.	सुमन कुमार	मानचित्रक डिप्लोमा होल्डर	"
37.	जय प्रकाश पडीर		

सत्यानन्द दीक्षित
मुख्य अभियन्ता(ज०वि०)

संख्या: 429-अनु०-6 / तददिनांक: 15.10.2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०, मध्यांचल-लखनऊ / पूर्वांचल-वाराणसी / दक्षिणांचल-आगरा / पश्चिमांचल-मेरठ।
2. प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर।
3. निदेशक (का०प्रब०) / आपरेशन, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
4. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उक्त आदेश को पावर कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर **upload** कराना सुनिश्चित करें।
5. कट फाईल।

(एम०के० जाखनवाल)
वैयक्तिक सहायक-तृतीय,
कृते मुख्य अभियन्ता(जल-विद्युत)





दूरभाष 0522-2288656

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत)

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
छठवें तल, शक्ति भवन विस्तार,
१४-अशोक मार्ग,
लखनऊ ।

Email- cehydelpcl@gmail.com

फैक्स 0522-2288655

संख्या: 717-अनु०-6/या०सं० 1876/2001,

दिनांक: 18.11.2014

कार्यालय-ज्ञापन

यतः राज्य विद्युत डिप्लोमा कला कर्मचारी संघ द्वारा 37 कर्मचारियों के सम्बन्ध में उठाये गये औद्योगिक विवाद संख्या 232/1996 में मा० श्रम न्यायालय(II), उ०प्र० कानपुर द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 16.09.2000 के विरुद्ध पावर कारपोरेशन लि० की ओर से मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद लखनऊ पीठ के समक्ष रिट याचिका संख्या 1876/2001(एस०एस०) योजित की गयी थी, जिसे मा० उच्च न्यायालय ने दिनांक 11.08.2014 को पारित आदेश में, श्रम न्यायालय के अवार्ड में हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुए याचिका को निरस्त कर दिया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद लखनऊ पीठ के आदेश दि० 11.08.2014 का परीक्षण, श्रम न्यायालय, लखनऊ के प्रासंगिक विविध वाद संख्या 34/2002 एवं विविध वाद संख्या 136/2004 में क्रमशः निर्णय/आदेश दिनांक 17.07.2004 एवं दिनांक 28.01.2005, मा० उप श्रमायुक्त, लखनऊ क्षेत्र, लखनऊ के आदेश दिनांक 25.04.2012, रिट याचिका संख्या 8715/2006 में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद लखनऊ पीठ के आदेश दिनांक 23.10.2013 के अनुपालन में निर्गत पावर कारपोरेशन के आदेश संख्या 41-अनु०-06/या०सं० 8715/2006 दिनांक 20.01.2014 तथा क्लेम पिटीशन संख्या 1518/2011 में मा० राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.09.2014 के परिप्रेक्ष्य में किया गया एवं सम्पूर्ण प्रकरण पावर कारपोरेशन(मु०) को संदर्भित किया गया। पावर कारपोरेशन स्तर पर भी प्रकरण का परीक्षण किया गया। सम्यक परीक्षणोपरान्त प्रबन्ध निदेशक, पावर कारपोरेशन महोदय द्वारा, श्रम न्यायालय के अवार्ड दिनांक 16.09.2000 में आदेशित कला सवर्ग के सम्बन्धित वादीगणों को विलम्ब से घोषित किये गये 03 समयबद्ध वेतनमान के फलस्वरूप 18% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

पावर कारपोरेशन द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन के अनुपालन में विलम्ब से घोषित किये गये 03 समयबद्ध वेतनमान के फलस्वरूप मा० श्रम न्यायालय(II), उ०प्र० कानपुर द्वारा पारित अवार्ड के अनुपालन में वाद से सम्बन्धित वादीगणों को 18% ब्याज का भुगतान किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उल्लेखनीय है कि उक्त वाद में से केवल श्री जी०सी० जैन वादी श्रमिक (से०नि० तकनीकी सहायक) द्वारा अवार्ड के अनुसार अनुमन्य लाभ के भुगतान का दावा प्रस्तुत किया गया है। अतः श्री जैन को ही उक्तानुसार 18% ब्याज की धनराशि का भुगतान देय है।

सुरेन्द्र सिंह
मुख्य अभियन्ता(ज०वि०)

संख्या: 717-अनु०-6/तददिनांक: 18.11.2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर सचिव-प्रथम, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (पारिषद मध्य), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० सी-40 सेक्टर-ए, अलीमंजिल, महानगर, लखनऊ को उनके पत्र संख्या 1488मु०अ०(पा०म०) दिनांक 27.08.2014 के संदर्भ में इस आशय से प्रेषित कि वे श्री जी०सी० जैन द्वारा मा० उप श्रमायुक्त, लखनऊ के समक्ष अभिनिर्णय वाद संख्या 232/1996 के परिपालन हेतु प्रस्तुत वाद में नियत सुनवाई की तिथि 25.11.2014 के पूर्व 18% ब्याज की धनराशि का भुगतान श्री जैन को सुनिश्चित करके तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण यथा: चेक संख्या दिनांक आदि से इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें ताकि तदनुसार मा० उप श्रमायुक्त, लखनऊ के समक्ष ससमय अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जा सके।
3. श्री जी०सी० जैन, से०नि० तकनीकी सहायक, 2/51, हाइडिल कालोनी, प्राग नारायण रोड, लखनऊ।
4. कट फाईल।

(ए०के० सिंह)

वैयक्तिक सहायक-तृतीय,
कृते मुख्य अभियन्ता(जल-विद्युत)

मा०

18.11.14